

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(25)वित्त-1(1)आ.व्यय/2012/

जयपुर, दिनांक: 13-09-2013

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान।

(स्वीकृति संख्या- 399/2013-14)

विषय:-वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला परिषदों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 165(4)ले.ब. /परावि/2012-13/8317 दिनांक 12.09.2013 के साथ (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 25/2013-14) संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 166.35 लाख (अक्षरे रु. एक करोड छियासठ लाख पैंतीस हजार) मात्र निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित जिला परिषदों के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे।

-:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

(राशि लाख रु. में)

मांग संख्या 41

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196- जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(01)- तदर्थ सहायता [01] संस्थापन (आयोजना भिन्न)


12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (संलग्न सारणी के अनुसार) 166.35
(आयोजना भिन्न)

कुल योग:- 166.35

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषदों के नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।


भवदीय


13.09.13
(सुधीर शर्मा)

निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बन्धित।
5. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (संयुक्त निदेशक) (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
6. लेखाकार, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, वित्त (बजट)